



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, (उ०प्र०)

पत्र संख्या: ल००अ०वि०/सम्ब०/२०१९/।०२५

दिनांक : ।४-।।- २०१९

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री अमर बहादुर महाविद्यालय,
दादरा, मुसाफिरखाना, अमेरी।

महोदय,

कुलपति महोदय, ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव के आलोक में डॉ० विजय शंकर मिश्र पुत्र श्री जयशंकर मिश्र (१०.०७.१९७५) शैक्षिक योग्यता नेट/पी०एच-डी०, आधार कार्ड नं० ३८५८३५४१०१३२, पैन नं०-BBBPM2398N, मोबाइल नं०-९४५०८३०१६५

ई०मेल—drviraymishra35@gmail.com के प्राचार्य पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार करते हुए स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत ०५ वर्ष की संविदा के आधार पर (जन्मतिथि के अनुसार ६५ वर्ष तक मान्य होगा) उनके प्राचार्य पद पर अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि उक्त अनुमोदन पी०एच-डी० सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनदेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्यहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्राचार्य के लिये अंशदायी भविष्य निधि(कान्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा उक्त अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि इस पत्र को महाविद्यालय की लाग-इन पर अपलोड, करने का कष्ट करें।

कुलसचिव